संख्या-825/2025/594/22-2-2023-17(482)/2023

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 18 जुलाई, 2025*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी श्रीचन्द पुत्र श्री दीपचन्द, निवासी जनपद-मथुरा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-1683/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-15-11-2022, दिनांक 18.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी श्रीचन्द पुत्र श्री दीपचन्द, ग्राम-महराना, थाना-बरसाना, जनपद-मथुरा का निवासी है। गंगाराम की पुत्री अपने घर से भाग गयी थी, 03 दिन बाद वापस आयी तो 02 लड़को के ऊपर आरोप लगा कर दिनांक 28.03.1991 को 53 लोगों ने मिलकर सांयकाल समय 9:00 बजे मंगतू पहलवान की बैठक पर पंचायत बुलायी गयी जिसमें तीनों लोगो को बारी-बारी से पीटा गया और दोनों लड़कों को उल्टा लटका कर उनके गुप्तागों को जलाया गया। प्रातःकाल तीनों को फांसी पर लटकाया और फिर अधमरे हालत में शमशान घाट पर जला कर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-359/1991 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,323/149,324/149, 201/149,147 व 3(3)10, एस0सी0/ एस0टी0, एक्ट में मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-02, मथुरा के आदेश दिनांक 16.11.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 31.05.2016 द्वारा एवं मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 26.11.2021 द्वारा सजा को यथावत रखा, बंदी द्वारा दिनांक 26.10.2022 तक 10 वर्ष 07 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 13 वर्ष 05 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी द्वारा कारित जघन्य अपराध की प्रकृति (03 लोगों की हत्या) तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी श्रीचन्द (बन्दी संख्या-17152) पुत्र श्री दीपचन्द, निवासी जनपद-मथुरा की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-825/2025/594(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।